पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 133/2022

अनवान :

1. अमित कुमार पुत्र जयसिंह जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. मनोज कुमार पुत्र जयसिंह जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. जयसिंह पुत्र दानाराम जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री जयसिंह जाति खाती निवासी जाटान तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राममूर्ति ताखर एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 2 श्री नरेन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 170/44 के ख0सं0 55 की 3.5030है0, ख0सं0 56 की 3.0100है0, ख0सं0 57 की 2.7190है0 कुल 9.2320है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम 1/2 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम दर्ज वाद भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह पुत्र दानाराम अकेले के बजाय वादी सं0 1 अमित कुमार पुत्र जयसिंह व वादी सं0 2 मनोज कुमार पुत्र जयसिंह को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह पुत्र दानाराम को 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 सुमन ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़।

Scanned with CamScanner